राजस्थान — सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

क्रमांक—प.12(3)(68)राज/2020/2?-24 दिनांक— 12/04/2021

— :आदेश :—

शासन उप सचिव,राजस्व(ग्रुप—3)विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.6(47)राज—3/2020 दिनांक 30.03.2021 द्वारा एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लि.पचपदरा (केन्द्र एवं राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम) को टास्कफोर्स के निर्णय की पालना में उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्माणार्थ ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 369/280 रकबा 25—00 बीघा किस्म गे.मु.खार में से सम्पूर्ण रकबा 25—00 बीघा अर्थात 10 एकड़ भूमि राजस्थान भू—राजस्व (स्कूलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, औषधालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1963 के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 102 के अन्तर्गत वित विभाग की आईडी संख्या 10200179 से प्राप्त सहमति के आधार पर एचआरआरएल को उपर्युक्त भूमि सशर्त निःशुल्क आंवटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः ग्राम सांभरा के खसरा नम्बर 369/280 रकबा 25—00 बीघा किस्म गे.मु.खार में से रकवा 25—00 बीघा भूमि तहसीलदार, पचपदरा द्वारा प्रस्तावित नक्शे में दर्शाये अनुसार राजस्थान भू—राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, औषधालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्माणार्थ एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लि.पचपदरा (केन्द्र एवं राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम) को टास्कफोर्स के निर्णय की पालना मे निम्न शर्तो पर निःशुल्क आवंटित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भूमि आवंटन की शर्तेः—

1. प्रश्नगत भूमि तथा भूमि पर निर्मित भवन राज्य सरकार की सम्पत्ति होगें ।
2. उक्त भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा ।
3. भूमि का उपयोग सर्वथा उस प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा, जिसके लिये उसे आवंटित किया गया है और उस भवन का सन्निर्माण, जिसके लिये भूमि का आवंटन किया गया है, कब्जा सौंपने के छः माह के भीतर—भीतर प्रारम्भ कर दिया जायेगा। आवंटी, कब्जा सौंपे जाने के दो वर्ष के भीतर—भीतर भवन का सन्निर्माण पूर्ण करने के लिये और निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए भूमि को आवंटित किया गया है।
4. भूमि राज्य सरकार में निहित रहेगी।
5. आवंटित भूमि पर सन्निर्मित भवन या प्रारम्भ किये गये संस्थान का उपयोग जनता के लाभ के लिये किया जायेगा, आवंटित भूमि और उस पर सन्निर्मित भवन का किसी भी रूप में विक्रय, उप पट्टे पर हस्तान्तरण या अन्तरण आवंटन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

PRINCIPAL
Dav Hrrl Sr. Sec. School
Pachpadra, Dist-Balotra

DVR

CHAIRMAN LMC
DAV HRRL Sr. Sec. School
Pachpadra, Distt – Balotra

6. आवंटी उपरोक्त प्रत्येक तथा हर किसी शर्त की पालना करने के सम्बन्ध में एक लिखित वचन–पत्र देगा।

7. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त के भंग होने की स्थिति में भूमि उस पर विनिर्मित भवन के साथ मुआवजे के लिए किसी दावे के बिना राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।

तहसीलदार, पचपदरा आवंटित भूमि के संबंध में मुख्य महाप्रबन्धक, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लि. पचपदरा से आवंटन शर्तो की पालना हेतु लिखित वचन पत्र प्राप्त करने के बाद ही कब्जा सुपर्द कर रेकर्ड में अमलदरामद कर पारित नामान्तरकरण व नक्शे में तरमीम की प्रति एक माह की अवधि में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
दिनांक:– 12/04/2021

कमांकः–प.12(3)(88)राज / 2020 / 2705 – 13
प्रतिलिपिः–

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राज0 जयपुर।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,बाड़मेर ।
3. उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लि.पचपदरा ।
5. तहसीलदार, पचपदरा ।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,बालोतरा ।
7. सरपंच ग्राम पंचायत, सांभरा ।
8. पटवारी,खेड़ ।
9. गार्ड फाईल।

(ओम प्रकाश बिशनोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर

PRINCIPAL
Dav Hrrl Sr. Sec. School
Pachpadra, Dist-Balotra

CHAIRMAN LMC
DAV HRRL Sr. Sec. School
Pachpadra, Distt – Balotra